राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोपाल बनाम मोहनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
19/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 की एकपक्षीय बहस समायत कर आदेश दिनांक 22/08/2003 पारित करते हुये अप्रार्थीगण/अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25/09/2004 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाकर पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 22/08/2003 को दावे के निर्णय तक कन्फर्म कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद विभाजन का है एवं सहखातेदारान के मध्य विभाजन तक उभयपक्षों को प्रश्नगत भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखते हुये उसका कृषि स्वरूप बरकरार बनाया रखा जाना आवश्यक होता है ताकि पक्षकारान के मध्य कोई नवीन विवाद उत्पन्न होकर पेचीदगीयां न बढ़े। इसके अतिरिक्त चूँकि विभाजन के वाद में जो पक्षकारान होते है, वह प्रश्नाधीन भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार होते है तथा कानूनन एक रिकार्डेड सहखातेदार/काश्तकार को उसकी खाते की आराजी के स्वतंत्र उपयोग-उपभोग से प्रतिबंधित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर उभयपक्षों को विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किया जाना उचित समझा जाता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25/09/2004 निरस्त किया जाकर उभयपक्षों को ता-फैसला मूल वाद विवादग्रस्त राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

गोपाल बनाम मोहनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	